

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

नाशिक NDCC बैंक के पूर्व निदेशक व बैंक अधिकारी पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज, पुलिस ने की प्रारंभिक जांच

Publisher

Published on 21 Nov 2025



नाशिक की मुंबई नाका पुलिस ने हाल ही में नाशिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक (NDCC Bank) के एक पूर्व निदेशक, उनके निजी सहायक और एक बैंक अधिकारी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मार्च 2017 में तीनों आरोपियों ने एक व्यक्ति को बैंक में हेड क्लर्क की स्थायी नौकरी दिलाने का वादा किया था और इसके एवज़ में 15 लाख रुपये की रकम ली।

पुलिस के मुताबिक, पीड़ित व्यक्ति ने आरोपियों को बैंक के मुख्य कार्यालय में यह रकम भेंट की थी क्योंकि उसे भरोसा दिलाया गया था कि उसे बैंक में महत्वपूर्ण और स्थिर पद दिया जाएगा। इसके बाद आरोपियों ने एक नकली नियुक्ति पत्र भी सौंपा, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के हस्ताक्षर लगे थे। यह नकली पत्र देख कर पीड़ित ने नौकरी का दावा किया, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली और मांग पूरी नहीं हुई, तो वह दस्तावेजों को लेकर पुलिस पहुंचा।

पुलिस ने शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा फोर्जरी (नक़ल दस्तावेज बनाना) और धोखाधड़ी के तहत मामला दर्ज किया है। जांच अधिकारी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि वह उन दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं जिन्हें पीड़ित ने प्रस्तुत किए हैं, और साथ ही यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या अन्य लोग भी इसी तरह के घोटाले का सामना कर चुके हैं।

यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब NDCC बैंक न सिर्फ वित्तीय संकट का सामना कर रही है, बल्कि उसकी छवि और भरोसे को भी लेकर चिंताएँ गहराई हैं। बैंक पिछले समय में एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) की समस्या, जमाकर्ताओं की राशि फंसे रहने जैसी परिस्थितियों से जूझ रही है। ऐसी स्थिति में इस तरह की धोखाधड़ी की खबर ने जमाकर्ताओं और जनता के विश्वास को और झकझोर कर रख दिया है।

नॉन-पेरफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से बैंक पहले ही दबाव में है, और नाशिक में जमाकर्ता और किसान लंबे समय से बैंक से अपनी जमा राशि वापस लेने की मांग कर रहे हैं। इन बीच यह धोखाधड़ी का मामला यह दर्शाता है कि बैंक प्रबंधन में शायद पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी रही हो। पिछले महीनों में जमाकर्ताओं द्वारा NDCC बैंक के AGM (साधारण सभा) में जमकर प्रदर्शन भी किया गया था, जहां उन्हें अपनी बकाया राशि वापस दिलाने की मांग की गई थी।

पुलिस अभी इस मामले की गहराई में उतर चुकी है और प्रारंभिक जांच में उन्होंने कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आरोप है कि नकली नियुक्ति पत्र के ज़रिए यह धोखाधड़ी की गई थी, और यह देखना बाकी है कि कितनी अन्य नियुक्तियों में इसी तरह की गड़बड़ी रही। पुलिस यह भी अध्ययन कर रही है कि क्या यह एक जाल मात्र था, या बैंक के अंदर कुछ बड़े भ्रष्टाचार की जड़ें हैं।

इस बीच, NDCC बैंक का स्थिति भी जनता और अधिकारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले कुछ समय में बैंक ने वित्तीय संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार से भी मदद मांगी है। नाशिक जिला बैंक को बचाने के लिए सरकार ने शेयर पूंजी में 672 करोड़ रुपये का निवेश स्वीकृत किया है, ताकि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा संभावित लाइसेंस रद्द की कार्रवाई से बचा जा सके।

जमाकर्ताओं की नाराज़गी सिर्फ इस धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है। कई सहकारी समितियों ने मिलकर एक मंच बनाने की घोषणा की है, ताकि बैंक को अपने पैसे वापस लेने की मांग को संगठित तरीके से उठा सकें। यह कदम इस विश्वास के बीच उठाया गया है कि धोखाधड़ी के आरोपी केवल तीन लोग नहीं हो सकते — आगे की जांच में और भी दोषियों का पता लग सकता है।

NDCC बैंक की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है: एक ओर जमाकर्ताओं का दबाव, दूसरी ओर जांच एजेंसियों की सक्रियता और सरकार द्वारा वित्तीय सहायता। इस नए धोखाधड़ी मामले ने बैंक की साख और विश्वसनीयता दोनों को चुनौती के सामने ला दिया है। बैंक प्रबंधन के लिए यह वक्त हिसाब-किताब साफ करने का है, और जमाकर्ताओं तथा अन्य हितधारकों की निगाहें अब इस जांच पर टिकी हैं।

समाज में सहकारी बैंक का भरोसा बहुत बड़ा है, खासकर ग्रामीण इलाकों में, जहां किसान और छोटे व्यवसायी बैंकों पर अपनी आर्थिक ज़िंदगी टिका कर रखते हैं। ऐसे में यह मामला यह सवाल उठाता है कि क्या पारदर्शिता के अभाव में इस भरोसे को खतरा बन सकता है। यदि आरोप सिद्ध होते हैं, तो न केवल जुर्म में लिप्त लोग जवाबदेह होंगे, बल्कि सहकारी बैंक व्यवस्था की विश्वसनीयता को भी झटका लगेगा।

अब यह देखना होगा कि पुलिस जांच को कितनी तेजी और निष्पक्षता से आगे बढ़ाती है, और न्याय व्यवस्था जमाकर्ताओं और बैंक हितधारकों को संतुष्टि दे पाती है या नहीं।